



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

कुल 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 06 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 21.02.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 45 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी। विवरण निम्न है-

- थाना कोतवाली देहात द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 05 ली0 शराब बरामद-** 1. गंगाराम पुत्र रमेश राज निवासी धनाग थाना कोतवाली देहात सीतापुर के कब्जे से कुल 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 44/21 अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना रामपुर मथुरा द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली0 शराब बरामद-** रामसेवक पुत्र बृज लाल निवासी चांदपुर थाना रामपुर मथुरा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 49/21 अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना रामपुर कलां द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से 20 ली0 शराब बरामद-** 1.राजेश कुमार निवासी हदारमऊ 2.राजू पुत्र रामस्वरूप निवासी मोविहनिया थाना रामपुरकलां के कब्जे से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियोग अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना मिश्रित द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली0 शराब बरामद-** 1.कैलाश पुत्र सैफू हरिजन निवासी 2. सकू उर्फ सीटू पुत्र दयाराम निवासीगण इंडरवल ग्रंट थाना मिश्रित के कब्जे से 05-05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 76/21,77/21 अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।